

3305
31/7/18

कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा

क्रमांक-
प्रति.

/री -2/भू. अ./18

खण्डवा दिनांक- 2.7.2018

नियंत्रक,
केन्द्रीय मुद्रणालय,
भोपाल

विषय-

"आपसी सहमति से भूमि कय नीति की कण्डिका 11(1)" के तहत सार्वजनिक सूचना का म. प्र. राजपत्र में प्रकाशन होने बाबत । प्रकरण क्रमांक 0016/अ-82/2017-18 ग्राम छिरवा तहसील खण्डवा

—00—

"आपसी सहमति से भूमि कय नीति की कण्डिका 11(1)" के तहत सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन म.प्र.राजपत्र भाग-1 में होना है। कलेक्टर जिला खण्डवा द्वारा हस्ताक्षरित सार्वजनिक सूचना की दो प्रतियां (एक मूल प्रति एवं एक फोटो प्रति) आप की ओर भेजी जा रही है।

कृपया इसका प्रकाशन राजपत्र में शीघ्र करवाकर इस कार्यालय को सूचित करने का कष्ट करें।
संलग्न-02 प्रतियां।



(संजीव केशव पाण्डेय)
अनुविभागीय अधिकारी, एवं
भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा

पृ. क्रमांक-
प्रतिलिपि-

/री -2/भू. अ./18 1753

खण्डवा दिनांक- 2.7.2018

1. संचालक जन संपर्क संचालनालय म.प्र. की ओर सार्वजनिक सूचना की चार प्रतियां भेजकर निवेदन है कि, कृपया इस क्षेत्र में पढ़े जाने वाले दो बहुप्रसारित दैनिक समाचार पत्रों में इसका प्रकाशन करवाकर इसकी एक-एक प्रतियां इस कार्यालय को भिजवाने का कष्ट करें।

2. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी (एन.आई.सी.) खण्डवा की ओर कलेक्टर महोदय द्वारा हस्ताक्षरित सार्वजनिक सूचना को जिले की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

3. तहसीलदार खण्डवा की ओर 6 प्रतियां भेजकर लेख है कि, एक-एक प्रति चरपा कर तथा ग्राम में डोंडी पिटवाकर बाद तामिली के मय अपने प्रमाणीकरण के 8 दिवस में वापिस भिजवाने की व्यवस्था करें।

1. कलेक्टर कार्यालय नोटीस बोर्ड
2. एस. डी. ओ. कार्यालय खण्डवा नोटीस बोर्ड
3. तहसील कार्यालय खण्डवा नोटीस बोर्ड
4. ग्राम पंचायत नोटीस बोर्ड
4. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग खण्डवा की ओर सूचनार्थ एवं गजट तथा पेपर प्रकाशन प्रति संकलित कर पेश करने हेतु।

(संजीव केशव पाण्डेय)
अनुविभागीय अधिकारी, एवं
भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा

कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला खण्डवा (म.प्र.)

3305
31/7/18

क्रमांक / / भू-अर्जन / 2018

खण्डवा, दिनांक 28/06/ 2018

अर्जन क्र. 106/2016/LA

प. क्र. 0016/A82/2017-18

// सार्वजनिक सूचना //

म.प्र. शासन राजस्व विभाग के परिपत्र क्रमांक 12-2-2014-सात/ए दिनांक 12.11.2014 (म0प्र0राजपत्र दिनांक 14.11.2014) अनुसार राज्य सरकार द्वारा निजी भू-धारकों की "आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति" जारी की गयी है।

इस नीति के अन्तर्गत राज्य शासन के विभाग/उपक्रम जल संसाधन संभाग खण्डवा को कारपुर तालाब के निर्माण में डूब प्रभावित ग्राम छिरवा के कृषकों की निजी भूमि की आवश्यकता है। इसका विवरण निम्नानुसार है तथा इसके भू-स्वामी/भू-स्वामियों द्वारा नीति की कंडिका-10 के अन्तर्गत अर्जन हेतु निर्धारित प्रपत्र ख में सहमति प्रस्तुत कर दी गई है। आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति की कंडिका-11(1) के अन्तर्गत सर्व साधारण की सूचना के लिये यह सूचना जारी की जा रही है कि नीति के अन्तर्गत भूमि विभाग के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है। यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह सार्वजनिक सूचना प्रकाशन से 15 दिवस की अवधि में आधार सहित अपनी आपत्ति अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनों को छोड़कर कार्यालयीन समय में प्रस्तुत कर सकता है। नियत अवधि के पश्चात प्राप्त होने वाली आपत्तियों को न तो स्वीकार किया जावेगा और न ही उन पर किसी प्रकार का विचार किया जावेगा।

आपसी सहमति से क्रय की जाने वाली भूमि का विवरण

जिला खण्डवा, तहसील खण्डवा, प.ह.नं.-143 , ग्राम-छिरवा क्षेत्रफल रकबा 1.68 हेक्टर

क्र.	भूमि स्वामी का नाम व पिता/पति का नाम	सर्वे नम्बर	प्रभावित भूमि का क्षेत्रफल हेक्टर में			अन्य सम्पत्ति
			सिंचित	असिंचित	कुल रकबा	
1	2	3	4	5	6	7
1	ताराचंद, नानकराम, छोटेलाल, मुन्ना, पिता सालकराम नि. कारपुर	22	-	1-68.	1-68	
	योग			1-68	1-68	



(विशेष गढ़पाले)
कलेक्टर
जिला खण्डवा

[Handwritten signature]